संख्या-25/2324 ई-2/तेरह-2014-100/2014

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनउ::दिनांक 17 नवम्बर,2014

विषय:-जनपद मेरठ के छावनी क्षेत्र में व्यवस्थित देशी मदिरा की दुकानों के अवशेष एम0जी0क्यू0 के उठान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-89/दस-लाइसेंस-314/रिट नं0-16750/2014/कन्टोनमेन्ट बोर्ड बनाम राज्य दिनांक 04 सितम्बर,2014 तथा पत्र संख्या-जी-101/दस-लाइसेंस-314/रिट नं0-16750/2014/कन्टोन- मेन्ट बोर्ड बनाम राज्य दिनांक 24 सितम्बर,2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में किये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद-मेरठ में वर्ष 2014-15 में व्यवस्थित मदिरा दुकानों में से छावनी क्षेत्र में व्यवस्थित मदिरा दुकानों को छावनी परिषद मेरठ द्वारा दिनांक 01-4-2014 से सील/बन्द कर दिये जाने के कारण सील/बन्द देशी मदिरा की फुटकर दुकानों के बन्दी की अवधि के अवशेष मासिक एम0जी0क्यू0 का व्यापक राजस्वहित में उठान कराये जाने की एतद्द्वारा विशेष अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुनील कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

http://finance.up.nic.in/ee/intra